संख्या-49/2016/371/41-2016-40 यो0/13 टी0सी0

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2016**

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद मथुरा में ऐतिहासिक जलकुण्डों के जीर्णोद्धार की योजनान्तर्गत 10 ऐतिहासिक जल कुण्डों के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-2116/6-1-1(मथुरा)/मु0मं0घो0/2016, दिनांक 01-03-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद मथुरा में तृतीय फेज के अन्तर्गत 10 ऐतिहासिक जलकुण्डों 1. चन्द्र कुण्ड (छाता), 2. बलभद्र कुण्ड, (बडी बठैन) 3. कृष्ण कुण्ड, (छोटी बठैन), 4. बलभद्र कुण्ड, (अडिंग), 5. महदर कुण्ड, (गठौली), 6. सखी कुण्ड, (सकीतरा) 7. शाही तालाब, (दौताना) 8. पय सरोवर, (पयगाम), 9. पाण्डव गंगा, (बैठन) 10. रत्न कुण्ड, (गोवर्धन) के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य की योजना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1198.40 लाख धनराशि की प्रशासकीय एवं रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. **शासनादेश सं0 80/2015/281/41-2015-40 यो0/13 टी0सी0, दिनांक 30;03;2015 में प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जायेगा जिसकी देख-रेख में कार्यों का सम्पादन किया जायेगा, के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्तानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाय।**
2. **मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।**
3. **नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्त्यिां/तकनीकी स्वीकृति एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।**
4. **यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दुरावृत्ति न हो।**
5. **उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।**
6. **उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।**

http://shasanadesh.up.nic.in

7. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं निर्माण कार्य नियमानुसार व आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
9. सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
10. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत जल कुण्डों/तालाबों की भूमि निर्विवादित है और उसका रख-रखाव इस प्रकार किया जायेगा कि इस पर आने वाला व्यय भार राजकोष पर न पडे।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-22-मथुरा में प्राचीन काल के 50 ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या आरई0-/ई0-7-266 /दस-2016, दिनांक 28 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-49/2016/371 (1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
4- जिलाधिकारी, आगरा।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in